न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी– उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

निगरानी सं. 05/2019

1. सुच्यार कौर पत्नी गुरा सिंह उम्र 85 वर्ष जाति मजबी सिख।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र रामचन्द्र आयु 24 वर्ष जाति बावरी।
3. दलीप कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद उम्र 27 वर्ष।
4. सरजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह आयु 25 वर्ष जाति बावरी।
5. ईशर सिंह पुत्र रामचन्द्र आयु उम्र 32 वर्ष जाति बावरी।
6. जीतराम पुत्र प्रेम सिंह उम्र 50 वर्ष जाति बावरी।
7. लाभ सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह उम्र 55 वर्ष जाति बावरी।
8. पालो पत्नी गुरनाम सिंह उम्र 60 वर्ष जाति बावरी।
9. सोना कौर पत्नी दरबार सिंह उम्र वर्ष जाति बावरी।
10. गुरदत्त सिंह पुत्र कृष्णलाल उम्र 35 वर्ष जाति बावरी।

निवासीयान आबादी चक 16 पी.बी.एन. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत सरावांवाला पंचायत समिति पीलीबंगा जरिये सरपंच।
2. सचिव, ग्राम पंचायत सरावांवाला पंचायत समिति पीलीबंगा।
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थीयान

निगरानी विरूद्ध प्रस्ताव अप्रार्थी ग्राम पंचायत सरावांवाला संख्या 2 दिनांक 07.01.2019 जिसके अनुसरण में प्रार्थीगण के निवास स्थान पर किये गये निर्माण को अतिक्रमण बताते हुए हटाने के लिए नोटिस ग्राम विकास अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा गांव के एक व्यक्ति लाभ सिंह के घर के बाहर चस्पा किया गया। बमुराद मंसूखी चुनौतिधीन प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 07.01.2019

अपर जिला कलक्टर ★ हनुमानगढ़ (राज०) ★

उपस्थितः– 1. श्री बलविन्द्रसिंह अभिभाषक निगरानीकर्ता।
2. श्री गुरमेलसिंह ढिल्लो अभिभाषक अप्रार्थी सं0 01
3. श्री सोहनलाल सहारण अभिभाषक अप्रार्थी सं0 02, 03

–:निर्णयः–

दिनांकः –13.05.2024

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/ निगरानीदार की ओर से इस प्रकार है कि प्रार्थीगण चक आबादी 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा में निवासित हैं। यह आबादी पत्थर नम्बर 20/304 व 19/30[illegible] कुल 25.300 हैक्टेयर भूमि में काटी गई है। प्रार्थीगण सपरिवार इस स्थान [illegible] वर्षों से शांतिपूर्वक निवासित चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण के [illegible] निवासित थे जिन्होंने असों पूर्व इसी स्थान पर पक्के मकान बनाकर [illegible] की हुई है। प्रार्थीगण के द्वारा किये गये निर्माण व यहां रहने के सम्बध में कभी भी अप्रार्थीगण के द्वारा विरोध [illegible] गया अपितु हमेशा ही प्रार्थीगण के नाम से पट्टा बना[illegible] उन्हें इस आवासीय भूमि [illegible]पूर्ण स्वामी बनाए जाने के लिए आश्वस्त रखा। प्रार्थीगण के द्वारा जो निर्माण कार्य किया गया है उससे गांव की आबादी भूमि की योजना कतई तौर पर बाधित नहीं होती है। प्रार्थीगण के पहचान पत्र, वोट व राशन कार्ड इसी चक की आबादी में रहते हुए उनके निवास

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.14 13:04:19 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

स्थानों पर बने हुए हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण का अर्सा दराज से स्थिर कब्जा चला आ रहा है व इस निवास स्थान के भूखण्ड के सम्बंध में साम्पतिक अधिकारों का प्रादूर्भाव हो चुका है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण व आबादी चक 16 पीबीएन के प्रार्थीगण सरीखे अन्य निवासियों जो कि गरीब व बी.पी.एल. श्रेणी के व्यक्ति है, को राजनैतिक दबाव में आकर कुछ भूमाफियों के ईशारे पर बेदखल करने व उनके निर्मित पुख्ता मकानों को ध्वस्त करने के लिए एक नोटिस को ऐसे स्थान पर चस्पा किया गया जो कि आम लोगों की दृष्टि में नहीं आता है। इस नोटिस को चस्पा कर इस आबादी भूमि में निर्मित मकानों को तोड़े जाने की चेतावनी दी गई। इस संबंध में जब प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से सम्पर्क कर जानकारी हासिल की तो उन्होनें बताया कि ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 07.01.2019 पारित करते हुए गांव की आबादी भूमि में किये गये निर्माण को ध्वस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रार्थीगण व गांव के अन्य पुराने वाशिन्दों ने ग्राम पंचायत व उच्चाधिकारियों जैसे कि विकास अधिकारी को सम्पर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत किया व उन्हें उनके पुराने समय से बिना किसी रोक टोक के निवासित होने के तथ्य का स्मरण करवाते हुए उन्हें उनके भूखण्डों को नियमानुसार नियमित कर पट्टा जारी करने व स्वत्व प्रदान करने के लिए निवेदन किया। जिस पर दिनांक 15.08.2019 को ग्राम सभा की बैठक हुई जिसमें ग्राम पंचायत ने निर्णय लिया कि ऐसे समस्त व्यक्ति जिनके द्वारा पुराने समय से अपनी जरूरत के मुताबिक भूखण्डों पर निर्माण कर निवास किया हुआ है, को नि:शुल्क अथवा अन्य श्रेणीयों में रखते हुए उनका नियमन कर दिया जावे व अपने उच्चाधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर पट्टो को जारी कर दिया जावे। इस प्रकार अप्रार्थीगण के द्वारा स्वयं प्रार्थीगण व अन्य निवासियों के पुराने निर्माण व कब्जा को संरक्षित करने व इन्हें सही मानते हुए उनके पट्टे जारी करने का निर्णय लिया गया है। अप्रार्थीगण अब पुनः प्रार्थीगण को प्रश्नगत भूखण्डों जिन पर प्रार्थीगण ने निर्माण किया हुआ है, से बेदखल कर निर्माण को ध्वस्त करने के लिये प्रयासरत हो गये हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण चुनौतिधीन प्रस्ताव को निम्न आधारों पर निरस्त करवाने के अधिकारी हैं।

ग्राम पंचायत के द्वारा लिया गया चुनौतिधीन प्रस्ताव को अधिकांश पंचों का समर्थन प्राप्त नहीं है। यहां तक कि सरपंच श्रीमति कुलविन्द्र कौर जो कि कम पढ़ी लिखी घरेलू औरत है, को अप्रार्थी संख्या–3 ने धोखे में रखकर अपनी मर्जी से प्रस्ताव लिखकर सरपंच व अन्य पंचों को इसकी कोई जानकारी न देते हुए हस्ताक्षरित करवा लिया है जबकि सरपंच व अधिकांश पंच ऐसे प्रस्ताव के संबंध में कभी भी सहमत नहीं थे। अप्रार्थीगण के द्वारा लिया गया प्रस्ताव एकतरफा है। ऐसे प्रस्ताव को पारित करने से पूर्व प्रार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है व न ही अपने निवास के संबंध में दस्तावेज व अन्य साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए अवसर ही प्रदान किया गया है। जबकि इस सम्बंध में वार्ड वाईज निर्वाचित पंचों के द्वारा भौतिक निरीक्षण करवाया जाना आवश्यक था एवं ऐसे प्रस्ताव से पूर्व व्यक्तिगत तौर पर सभी प्रार्थीगण व अन्य ऐसे ही निवासियों को नोटिस देकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था परन्तु हस्तगत मामले में प्रार्थीगण को कि व्यथित पक्ष है, को ग्राम पंचायत के द्वारा किसी भी प्रकार से उनके मकानों को ध्वस्त करने का प्रस्ताव लेने से पूर्व नोटिस नहीं दिया।

प्रार्थीगण गरीबी रेखा से भी नीचले स्तर के मजदूर पेशा व्यक्ति हैं जो कि अधिकांशत: अनुसूचित जाति के सदस्यगण है। रा[illegible] के द्वारा ऐसे गरीब व निम्न सामाजिक स्तर के बीपीएल धार[illegible] उपलब्ध करवाने एवं निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग देने क[illegible] ग्राम पंचायत के द्वारा राज्य सरकार की नीतिय[illegible]गण जैसे गरीब परिवारों को उजाड़ने का कार्य किया जा रहा है जो कि एक [illegible]धिक व असदभाविक कृत्य है। अप्रार्थीगण के द्वारा असदभावनापूर्वक कार्यवाही पिक एण्ड चूज तरीका अपनाकर की जा रही है जबकि ऐसे ही अन्य पुराने कब्जाधारियों को जिनकी तादाद करीब 16 है, के कब्जों को ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्ताव लेकर नियमित किया गया है व उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत राहत प्रदान करते हुए उनको मकान निर्मित करने के लिए आर्थिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.14 13:04:19 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अनुदान भी दिया गया है। जो कि ऐसे व्यक्तियों में सरबती देवी पत्नी दानाराम, सुभाष पुत्र दानाराम, सन्तोष पत्नी भानीराम, रामस्वरूप पुत्र दानाराम, कर्मादेवी पत्नी भजनलाल, परमेश्वरी देवी पत्नी देवीलाल, कमलेश पुत्र सतपाल, भानूदेवी पत्नी धर्मवीर अकवाम भोपा व सुरजीत कौर पत्नी बैसाखा सिंह मजबी सिख, भंवराराम नायक, मनीराम नायक, कर्मजीत कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह मजबी सिख, सीमादेवी पत्नी ओमप्रकाश नायक आदि शामिल हैं। निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–1 के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 07.01.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीयान की तलबी की गयी। अप्रार्थीयान जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि अप्रार्थी संख्या–1 के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 07.01.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थीयान ने अपनी बहस के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि प्रार्थीगणों द्वारा चक 16 पीबीएन (नई आबादी) में वर्तमान में स्वीकृत शुदा प्लान भूमि में नवीन अतिक्रमण किया है। प्रार्थी या प्रार्थीयों के पूर्वज कभी भी उक्त आबादी के स्थाई निवासी नहीं रहे है। ग्राम पंचायत सरांवावाला की उक्त 50 बीघा आबादी भूमि का ग्राम पंचायत द्वारा नगर नियोजक, बीकानेर से अनुमोदित करवाया गया था। इस हेतु ग्राम पंचायत द्वारा जारी पत्र क्रमांक 21 दिनांक 24.02.2014 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि उक्त 50 बीघा आबादी भूमि खाली पड़ी हुयी है तथा इसमें किसी भी तरह का कोई स्थायी निवास नहीं है। प्रार्थीगणों द्वारा निवास 20 वर्ष पूर्व का दर्शाया गया है जबकी साक्ष्य में प्रस्तुत निर्वाचक नामावली वर्ष 2019 की संलग्न की गयी है जिसमें निवास सन्धुओं का बास, चक 16 पीबीएन बताया गया है जो कि चक 16 पीबीएन की पुरानी आबादी है जो इस आबादी क्षेत्र के लगभग 01 किलो मीटर पर स्थित है। अधिकाशः प्रार्थीगण पड़ौसी ग्राम अहमदपुरा (ग्राम पंचायत अमरपुरा राठान) व ग्राम पंचायत डींगवाला व अन्य स्थान के निवासी है तथा उनका उन स्थानों पर भी स्थायी निवास एवम् भू–खण्ड है। प्रार्थीगणों द्वारा मात्र ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में अनाधिकृत रूप से कब्जा करनें की बदनियत से निर्वाचक नामावली 2019 में नाम जुड़वाये गये है। प्रार्थीगणों का चक 16 पीबीएन (नई आबादी) का स्थायी निवासी होने का दावा पूर्णतः असत्य है। प्रार्थीगणों का यह कथन की वे बीपीएल श्रेणी के व्यक्ति है, उनको राजनैतिक दबाब में भू–माफियाओं के इशारें पर बेदखल किया जा रहा है तथा इस संबंध में जारी नोटिस सहज दृश्य स्थान पर चस्पा नहीं किया गया एवम् ग्राम सभा बैठक दिनांक 15.08.2019 में ग्राम पंचायत द्वारा उनके अतिक्रमणों को नियमन कर पट्टा जारी करनें का निर्णय लिया गया है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगणों द्वारा अपनें निहित स्वार्थो की पूर्ति हेतु राजकीय आबादी भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया जा रहा है जिनकों प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत वसूली एवम् आगामी ग्राम पंचायत के चुनावों के मद्देनजर संरक्षण दिया जा रहा है। जहां तक अतिक्रमण हटानें हेतु नोटिस सहज दृश्य स्थान पर चस्पा नहीं करने की बात है, इस बाबत ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक सूचना नोटिस क्रमांक 145 दिनांक 28.12.2018 द्वारा उक्त स्थल के साथ–साथ दैनिक भास्कर समाचार पत्र में भी प्रकाशित की गयी है। तत्पश्चात् किये जा रहे निर्माण पर अस्थायी निषेधाज्ञा 150 दिनांक 30.12.2018 जारी कर उक्त स्थल पर चस्पा की गयी। स्वयं तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति पीलीबंगा द्वारा मौका निरीक्षण कर अतिक्रमण[illegible] अतिक्रमण नहीं करनें हेतु पाबंद किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी अतिक्रमण[illegible] को न तो पट्टा जारी करनें का कोई आश्वासन दिया गया तथा न ही किसी भी [illegible] का कोई प्रस्ताव ग्राम सभा बैठक दिनांक 15.0[illegible] [illegible]या है। ग्राम पंचायत अपने पूर्ववर्ती निर्णय दिनांक 05.05.2014 के प्रस्ताव संख्या 0[illegible] के तहत आबादी भूमि निष्पादन हेतु राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के सामान्य नियम 1996 के प्रावधान अनुसार सार्वजनिक निलामी एवं अन्य नियमानुसार आवंटन करनें हेतु कृत संकल्प है तथा किसी भी तरह राजकीय आबादी भूमि पर अतिक्रमणों को प्रोत्साहित करनें के पक्ष मे नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.14 13:04:19 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

इस हेतु पूर्व में भी ग्राम पंचायत द्वारा अपनी सार्वजनिक सूचना 55-62 दिनांक 12.05.2014 को समाचार पत्र में प्रकाशित करवायी गयी थी। चूंकि निहित स्वार्थी लोग उक्त आबादी भूमि में कब्जा करने की मंशा एवं राजनैतिक व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कब्जा करवाने की मंशा के चलते माननीय न्यायालय को गुमराह कर उक्त निलामी पर निगरानी संख्या 08/06-08-2014 द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। उक्त स्थगन आदेश को इसी माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.08.2015 को निरस्त कर दिया गया। अब जब पुनः अतिक्रमण हटानें की कार्यवाही ग्राम पंचायत सरांवावाला द्वारा अमल में लायी जा रही है तो प्रार्थीगणों द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर पुनः अतिक्रमण हटानें की कार्यवाही पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है जो कतई उचित एवं न्याय संगत नहीं है। ग्राम पंचायत के संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित करनें वाला तथा अतिक्रमणकारियों को प्रोत्साहित करनें वाला होनें के कारण खारिज करनें के योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में अतिक्रमण हटानें संबंधी प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 07.01.2019 पूर्णतः सवैधानिक एवम् विधि सम्मत है जिस हेतु ग्राम पंचायत पंचायतीराज अधिनियम 1994 के सामान्य नियम 1996 के नियम संख्या 165 के तहत पूर्णतया सक्षम है। ग्राम पंचायत द्वारा मात्र प्रस्ताव ही नहीं पारित किया गया है, ग्राम पंचायत की ओर से सरपंच ग्राम पंचायत के हस्ताक्षरों से नोटिस का प्रकाशन, अस्थायी निषेधाज्ञा एवं अन्य दस्तावेज जारी किये गये है। सरपंच, ग्राम पंचायत हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 08 वी उत्तीर्ण की है। अतः कम पढ़ा लिखा और घरेलू महिला होनें संबंधि कथन पूर्णत असत्य है। ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव पूर्णतया न्याय संगत है। अतिक्रमण हटानें हेतु जारी सार्वजनिक सूचना एवं निर्माण पर अस्थायी निषेधाज्ञा सभी में अतिक्रमणकारियों को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त समय एवं अवसर प्रदान किया गया है तथा ग्राम पंचायत के 03 वार्ड पंचो की कमेटी द्वार मौके का निरीक्षण कर अतिक्रमण हटानें की अनुशंषा की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा बार-बार प्रार्थीयों को अतिक्रमण नहीं करनें हेतु पाबंद करनें के साथ-साथ उक्त आशय की स्थायी सूचना आबादी क्षेत्र में लोहे के पट्ट पर अंकित करवायी हुयी है। प्रार्थीगणों द्वारा ग्राम पंचायत में इस तरह का कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत नियमानुसार पात्र होने पर आवेदन करनें पर आवंटन करनें हेतु कटिबध है। परन्तु अतिक्रमणकारियों द्वारा ग्राम पंचायत के स्वीकृत शुदा प्लान में मनमर्जी से किये गये समस्त अतिक्रमण अनाधिकृत होनें के कारण हटानें योग्य है। प्रार्थीगणों का यह आरोप भी पूर्णतः असत्य है कि ग्राम पंचायत असद्‌भावना पूर्वक कार्यवाही कर पिक एंड चूज तरीका अपनाकर पक्षपात कर रही है। ग्राम पंचायत द्वारा अपनें स्वीकृत शुदा प्लान में जिन लाभार्थियो को पट्टे प्रदान कर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवास का लाभ दिया गया है वह सभी परिवार भारत सरकार की सेक - 2011 की सूची में सम्मिलित है तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के तहत ही उन्हें भू-खण्ड आवास का आवंटन नियमानुसार किया गया है। जबकी प्रार्थीगणों द्वारा किया जा रहा निर्माण अनाधिकृत एवं अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। प्रार्थीगणों द्वारा ग्राम पंचायत में नियमानुसार आवंटन हेतु कोई भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इनके द्वारा किया गया निर्माण अतिक्रमण मानते हुए हटानें का ग्राम पंचायत द्वारा लिया गया निर्णय पूर्णतः विधि सम्मत है।

जिसमें अतिरिक्त अभिकथन इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत सरांवावाला द्वारा चक 16 पीबीएन (नई आबादी) में स्थित उक्त आबादी भूमि का राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 142 के तहत [illegible] योजना तैयार कर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर [illegible] अनुमोदन करवाया गया है तथा ग्राम पंचायत के [illegible] भूमि के निष्पादन हेतु पंचायतीराज सामान्य नियम 1996 [illegible] तक सम्पूर्ण प्रक्रिया विधिवत् कर उक्त भूमि को सार्वजनिक निलामी द्वारा विक्रय हेतु [illegible]ना क्रमांक 96 दिनांक 07.07.2014 को प्रकाशित करवायी गयी है। ग्राम पंचायत की उक्त आबादी भूमि में भू-खण्डों की निलामी / आवंटन की कार्यवाही पर पूर्व में इसी माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी संख्या 08 / 2014 द्वारा निर्णय कर निलामी पर स्थगन आदेश को खारिज किया जा चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.14 13:04:19 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

अब पुनः ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार को इसी निगरानी संख्या 05/2019 द्वारा चुनौति दी गयी है। उक्त निगरानी के संबंध में जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत निगरानी पूर्णतः असत्य तथ्यों पर आधारित एवं अपनें अतिक्रमणों को बचानें का प्रयास मात्र है। अतः अप्रार्थीयान द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उदघृत न्यायिक नजरों पर मनन किया गया।

1. प्रकरण में प्रथमतः विलम्ब के बिन्दू का निस्तारण किया जाना है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र दिनांक 21.08.2019 के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम 1963 संलग्न नहीं किया है। माननीय नजीर न्यायालय द्वारा समय–समय यह मत प्रतिपादित किया है कि विलम्ब माफी हेतु दिन–प्रतिदिन विलम्ब का कारण स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
2. ग्राम पंचायत सरावांवाला पंचायत समिति पीलीबंगा के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 07.01.2019 के विरूद्ध निगरानीकर्ता द्वारा लगभग 07 माह का समय व्यतीत होने के बाद निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना मियाद बाहर है, अवधि में छूट पाने का हकदार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

अतः निगरानी प्रार्थना पत्र मियाद अवधि से बाहर होने के कारण निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न होने से खारिज की जाती है। ग्राम पंचायत सरावांवाला पंचायत समिति पीलीबंगा के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 07.01.2019 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सही/- 13/5/2024
(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.14 13:04:19 IST
Reason: SelfAttested